सोलहवीं राजस्थान विधान सभा

षष्ठम्-सत्र

विधान सभा समाचार (बुलेटिन)

भाग-2

विधान शाखा

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 61

विधान सभा भवन,
जयपुर, दिनांक : 03 अगस्त, 2026

विधेयकों पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव एवं विधेयक की मूल भाषा के संबंध में

सामान्यत: यह देखने में आया है कि माननीय सदस्यों द्वारा विधेयकों पर प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन प्रस्ताव विधेयक की मूल भाषा में प्रस्तुत नहीं किये जाते है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष पद से पूर्व में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार **"विधेयक जिस भाषा में हो उसी भाषा में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।"**

साथ ही माननीय सदस्यों को विधेयकों की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाती है, उनके द्वारा विधेयकों के सदन में पुर:स्थापन से पूर्व ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जाते है। इस संबंध में संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में यह उल्लेख है कि :-

"सदस्य चाहें तो किसी विधेयक पर संशोधन की सूचना उसके पुर:स्थापित होने के साथ ही दे सकते है।"

अत: माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधेयकों पर उपरोक्तानुसार ही संशोधन प्रस्तुत करें अन्यथा संशोधन प्रस्ताव अग्राहय कर दिये जायेंगे।

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव